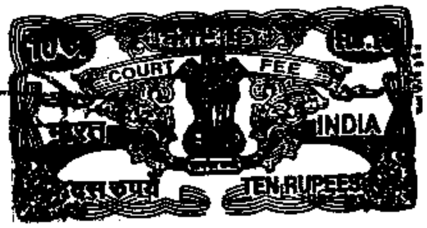

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R3431-III/14

1— रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद ओझा
निवासी ग्राम कालामढ़ तहसील बैराड़
जिला शिवपुरी

2— धनीराम पुत्र बारेलाल कुशवाह
निवासी ग्राम जाखनौद तहसील बैराड़
जिला शिवपुरी ——आवेदकगण

विरूद्व

1— घनश्याम पुत्र मुरारीलाल धाकड़ ग्राम कालामढ़
तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी
—— असल अनावेदक

2— म0प्र0शासन—अनुविभागीय अधिकारी,पोहरी जिला
शिवपुरी मध्य प्रदेश ———तरतीवीं अनावेदक

श्री पी. पी. नायक, अभि० द्वारा आज दि. 9-10-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-10-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

9-10-14
P Nayak
Adv

(म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी — अनुविभागीय अधिकारी पोहरी व्दारा प्रकरण कमांक 143/13—14 अपील में एकपक्षीय पारित अंतरिम आदेश दि. 23—8—14 के विरूद्व)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि ग्राम कालामढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 870 मिन 1 रकबा 0.260 हैक्टर आवेदक धनीराम पुत्र बारेलाल कुशवाह ने पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 10.2.11 से रिकार्डेड भूमिस्वामी रामकिशन पुत्र मोतीलाल कुशवाह से कय की एंव विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार बैराड़ ने आदेश दिनांक 21.10.11 से नामान्तरण किया। इसी प्रकार भूमि सर्वे कमांक 869 रकबा 0.11 हैक्टर का आवेदक क—1 रामकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद ओझा शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज होकर मौके पर काविज होकर कास्त करते आ रहे हैं, किन्तु रिट पिटीशन कमांक 233/2013 में आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना एकपक्षीय पारित आदेश दिनांक 28.1.13 का हवाला देकर तहसीलदार बैराड़ ने आदेश दिनांक 3—4—13 से [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3431/III/14 जिला छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	आवेदक अभि. श्री ... नायक अनुपस्थित। अना. 2 अनावेदक पैनल अभि. श्री गार्डन उप. आवेदक को अनेकों बार आवाज लगवाई गई परन्तु उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	